पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15–03/2020 ज॰सं॰ ....277.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 06/03/21

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**41.035**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रू॰– एकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र।

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित बजट उपबंध रू॰ 19522.98 लाख **(रू॰ एक सौ पंचानवे करोड़ बाईस लाख अठानब्बे हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. वित विभाग के पत्रांक – 29 / बी टी ई–18 / 2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2021 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

05/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 277 रॉची, दिनांक :– 06/03/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची / कोषागार पदाधिकारी**, रॉची / डोरंडा / जमशेदपुर / चाईबासा / सरायकेला–खरसॉवा / घाटशिला / देवघर / सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

05/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 277 रॉची, दिनांक :– 06/03/21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / योजना एवं विकास विभाग / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि० / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची / संयुक्त सचिव (अभि॰) / उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में / सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग / सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग / वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(अशोक कुमार दास) संयुक्त सचिव (अभि॰)	05/03/21 (प्रशांत कुमार) सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

परिशिष्ट I

पत्रांक 277 दिनांक 06/03/21 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2020–21			विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
				49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य अभियंता–ईचागालुडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.400	1.200	0.400	0.050	0.000	1.700	0.000	143.750	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	0.900	
		3	कुल आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.400	1.200	0.500	0.050	0.000	2.500	0.000	144.650	
2	मुख्य अभियंता–चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर	1	पूर्व का आवंटन	130.500	0.000	0.000	0.400	1.100	0.350	0.050	0.000	1.200	0.000	133.600	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	1.750	
		3	कुल आवंटन	130.500	0.000	0.000	0.400	2.600	0.350	0.050	0.000	1.450	0.000	135.350	
3	मुख्य अभियंता, योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन रॉची	1	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.150	0.400	1.000	0.100	0.025	0.000	1.300	0.000	30.975	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	0.700	
		3	कुल आवंटन	28.000	0.000	0.150	0.400	1.000	0.100	0.025	0.000	2.000	0.000	31.675	
4	खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	246.330	0.000	0.300	0.300	0.500	0.150	0.400	0.000	0.600	0.000	248.580	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.200	0.200	0.500	
		3	कुल आवंटन	246.330	0.000	0.300	0.300	0.500	0.250	0.400	0.000	0.800	0.200	249.080	
5	खरकई बांध अंचल, चालियामा	1	पूर्व का आवंटन	138.000	0.000	0.000	0.300	0.650	0.250	0.100	1.000	0.600	0.400	141.300	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	
		3	कुल आवंटन	138.000	0.000	0.000	0.300	0.650	0.250	0.100	1.000	0.800	0.400	141.500	
6	नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल–रॉची	1	पूर्व का आवंटन	104.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.050	0.050	0.000	0.400	0.000	105.000	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.175	
		3	कुल आवंटन	104.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.125	0.050	0.000	0.400	0.000	105.175	
7	बराज अंचल–गालुडीह	1	पूर्व का आवंटन	136.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.050	0.150	0.000	0.400	0.000	137.100	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.400	0.000	0.750	
		3	कुल आवंटन	136.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.200	0.150	0.000	0.800	0.000	137.850	
8	योजना एवं मोनेटरिंग अचंल–1 रॉची	1	पूर्व का आवंटन	250.000	0.000	0.000	0.200	1.000	0.250	0.150	0.000	1.200	0.000	252.800	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	1.000	0.035	0.500	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	1.585	
		3	कुल आवंटन	250.000	0.000	1.000	0.235	1.500	0.300	0.150	0.000	1.200	0.000	254.385	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

05/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0 सं0	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	वित्तीय वर्ष 2020–21			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
				49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	रूपांकण अंचल–आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.400	0.300	0.100	0.200	0.000	0.600	0.100	161.700	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	
		3	कुल आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.400	0.600	0.250	0.200	0.000	0.600	0.100	162.150	
10	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1 राँची	1	पूर्व का आवंटन	251.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	251.950	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.410	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.510	
		3	कुल आवंटन	251.000	0.000	0.000	0.610	0.400	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	252.460	
11	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	1	पूर्व का आवंटन	284.810	0.000	0.000	0.200	0.550	0.200	0.250	1.000	0.600	0.000	287.610	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	
		3	कुल आवंटन	284.810	0.000	0.000	0.200	0.750	0.200	0.250	1.000	0.600	0.000	287.810	
12	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	619.000	0.000	0.150	1.700	0.700	0.250	0.700	20.200	0.950	0.000	643.650	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.550	1.200	2.000	
		3	कुल आवंटन	619.000	0.000	0.400	1.700	0.700	0.250	0.700	20.200	1.500	1.200	645.650	
13	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा	1	पूर्व का आवंटन	298.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.050	0.650	0.700	0.300	0.400	301.000	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.800	
		3	कुल आवंटन	298.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.050	0.650	0.700	0.600	0.900	301.800	
14	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर	1	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.425	0.060	0.300	0.000	201.285	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	
		3	कुल आवंटन	200.000	0.000	0.800	0.200	0.250	0.050	0.425	0.060	0.300	0.000	202.085	
15	खरकई बांध प्रमंडल सं0–2 ईचा चालियामा	1	पूर्व का आवंटन	300.000	0.000	0.000	2.600	0.500	0.050	0.350	0.000	0.300	1.300	305.100	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.190	4.190	
		3	कुल आवंटन	300.000	0.000	0.000	2.600	0.500	0.050	0.350	0.000	0.300	5.490	309.290	
16	बराज प्रमंडल–गालुडीह	1	पूर्व का आवंटन	348.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.150	40.000	0.000	0.300	389.450	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.075	
		3	कुल आवंटन	348.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.225	40.000	0.000	0.300	389.525	
17	यांत्रिक प्रमंडल, ईचा चालियामा	1	पूर्व का आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.350	0.000	0.300	0.000	229.150	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.900	
		3	कुल आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.050	0.350	0.000	0.800	0.000	230.050	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

277
06/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

05/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2020–21			विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विपत्र कोड	वेतन 49S270001001020101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49S270001001020110	एल0टी0सी0 49S270001001020112	देशीय यात्रा व्यय 49S270001001020213	कार्यालय व्यय 49S270001001020315	दूरभाष 49S270001001020333	वर्दी 49S270001001020334	विद्युत व्यय 49S270001001020337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S270001001020442	विधि प्रभार 49S270001001020760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	रूपांकण प्रमंडल सं0–2 आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	308.310	0.000	0.000	0.200	0.250	0.100	0.375	0.000	0.600	0.200	310.035	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	0.500	
		3	कुल आवंटन	308.310	0.000	0.000	0.200	0.250	0.200	0.375	0.000	1.000	0.200	310.535	
19	रूपांकण प्रमंडल सं0–3 आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	274.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.100	0.420	0.000	0.500	0.100	275.720	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.200	0.150	0.030	0.000	0.000	0.300	0.200	1.880	
		3	कुल आवंटन	274.000	0.000	0.000	1.400	0.550	0.130	0.420	0.000	0.800	0.300	277.600	
20	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–2 चांडिल शिविर–डिमना	1	पूर्व का आवंटन	358.000	0.000	0.000	1.040	0.550	0.160	1.000	1.000	0.000	0.000	361.750	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.620	
		3	कुल आवंटन	358.000	0.000	0.000	1.640	0.550	0.180	1.000	1.000	0.000	0.000	362.370	
21	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–4 गालूडीह	1	पूर्व का आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.375	0.850	0.000	0.400	254.125	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	
		3	कुल आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.050	0.375	0.850	0.000	0.400	254.575	
22	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–9 घाटशिला	1	पूर्व का आवंटन	314.000	0.000	0.250	0.400	0.250	0.050	0.575	0.000	0.000	0.300	315.825	
		2	अतिरिक्त आवंटन	7.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.450	
		3	कुल आवंटन	321.000	0.000	0.250	0.400	0.700	0.050	0.575	0.000	0.000	0.300	323.275	
23	विशेष भू–अर्जन पदा0–1 स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो–जमशेदपुर	1	पूर्व का आवंटन	319.000	0.000	0.000	0.600	0.700	0.050	0.250	2.500	0.300	0.600	324.000	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	
		3	कुल आवंटन	319.000	0.000	0.000	0.600	0.900	0.050	0.250	2.500	0.300	0.600	324.200	
24	सिंचाई प्रमंडल–गालूडीह	1	पूर्व का आवंटन	230.000	0.000	0.000	0.400	0.550	0.050	0.350	0.300	0.000	1.000	232.650	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.100	0.000	0.000	0.000	2.800	3.450	
		3	कुल आवंटन	230.000	0.000	0.000	0.600	0.900	0.150	0.350	0.300	0.000	3.800	236.100	
25	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल चांडिल	1	पूर्व का आवंटन	278.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.050	0.450	0.000	0.000	0.100	279.300	
		2	अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	
		3	कुल आवंटन	288.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.050	0.450	0.000	0.000	0.100	289.300	
	अतिरिक्त आवंटन का योग			17.000	0.000	2.050	2.845	4.500	0.875	0.075	0.000	4.600	9.090	41.035	

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रू. एकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

277
06/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

05/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव